तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
27/2/26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट तलब किये जाने बाबत पर बहस की गई जो सुनी गई। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा उसके खाते की भूमि खसरा नम्बर–2214/1838 रकबा 0.32 हैक्टयर वाकै ग्राम मण्डाना तहसील लाडपूरा जिला कोटा की आराजीयात से बेदखली व पत्थरगढी के अनुतोष हेतु वाद सम्माननीय न्यायालय में विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया है। वाद के समुचित निस्तारण हेतु मौके की वास्तविक स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष आना अति आवश्यक है, इस कारण से प्रार्थी एवम अप्रार्थी की खाते की उपरोक्त वर्णित आराजीयात की पैमायश कर मौके की वस्तु स्थिति के सम्बंध में रिपोर्ट तलब किया जाना न्यायोचित एवम विधिसंगत है। इस कारण से उक्त रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु तहसीलदार साहब तहसील लाडपूरा जिला कोटा को आदेशित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की खाते की उपरोक्त भूमि की पैमाइश कर मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब तहसीलदार साहब तहसील लाडपुरा से मंगवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 2214/1838 की रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा वादी की खातेदारी मे दर्ज है और झूठे व मनगढन्त तथ्यो के आधार पर बिना वाद हैतुक के प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण के विरूध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत वाद को साबित करने का भार वादी पर है और वादी को मौका कमीशनर रिपोर्ट के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित किये जाने का कानूनन अधिकार नही है अर्थात मौका कमीशनर रिपोर्ट साक्ष्य के रूप मे संग्रहित नही की जा सकती है प्रस्तुत वाद को शहादत प्रस्तुत कर साबित करने का भार वादी पर हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार वादी के खसरा नम्बर 2214/1838 की भूमि मूल खसरा नम्बर 464 का भाग है और मूल खसरा नम्बर 464 का कुल रकबा 3.52 है० विजय कुमार वल्द प्रभुलाल कोम ब्राहमण साकिन किशोरपुरा कोटा की खातेदारी में दर्ज रहा है जो कि बाद मे विभिन्न टुकडो में विभक्त कर विकय किया गया है जिसके वर्तमान मे 1820/464, 1834/467, 1835/467, 1836/467, 2270/1837, 2233/1838, 1821/464 विभक्त किये गये और उक्त खसरा नम्बरान में से 1821/464 रकबा 1.76 है0 जो कि वादी से पूर्व लाखन सिंह पुत्र तेजराज सिंह जाते राजपूत निवासी साकिन गुमानपुरा कोटा की खातेदारी मे दर्ज रहा है और उक्त खसरा नम्बर मे से वादी अनुज माहेश्वरी व अनीश माहेश्वरी के द्वारा 0.64 है० भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1999 को खरीद की गयी है और उक्त खरीद की गई भूमि का खसरा नम्बर 1838/1821/464 की रकबा 0.64 है0 बनाया गया और वादी अनुज माहेश्वरी व अनीश माहेश्वरी पिसरान बी. पी विशाल निवासीगण 17, प्रताप नगर कोटा के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 547 दिनांक 01.01.2000 से वादी अनुज माहेश्वरी व अनीश माहेश्वरी के नाम दर्ज किया गया और इसके पश्चात उक्त भूमि का वादी अनुज माहेश्वरी व अनीश माहेश्वरी के द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 19.01.2022 को विभाजन किया गया और खसरा नम्बर 1838/1821/464 की रकबा 0.64 है० भूमि मे से उत्तरी भूमि 0.32 है० अनीश माहेश्वरी को तथा दक्षिणी भूमि 0.32 है0 वादी अनुज माहेश्वरी ने विभाजन मे प्राप्त की और बाद विभाजन उक्त भूमि के नये नम्बर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नम्बर हुक्म या तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

2214/1838 की रकबा 0.32 हे० वादी के नाम दर्ज की गई और खसरा नम्बर 1213/1838 की रकबा 0.32 हे० भूमि अनीश माहेश्वरी के नाम दर्ज की गई जो कि अनीश– माहेश्वरी के द्वारा श्रीमान प्रज्ञा जैन पत्नी राहल जैन निवासी ए–699 इन्द्राविहार कोटा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2025 को विक्रय कर दी गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी की वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2214/1838 की रकबा 0.32 हे० भूमि मूल खसरा नम्बर 464 व उसके पश्चात 1821/464 का भाग थी किन्तु फिर भी वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध झूठे व मनगढन्त तथ्यो के आधार पर बिना वाद कारण के वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी के द्वारा वाद पत्र मे वर्णित कथन के संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात साक्ष्य एकत्रित करने के उद्धेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि कानूनन मौका कमीशनर रिपोर्ट को साक्ष्य एकत्रित करने का साधन नहीं बनाया जा सकता है। वादी को वाद व प्रार्थना पत्र मे उठाये गये तथ्यों को साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित किया जाना है किन्तु वादी मौका कमीशनर रिपोर्ट के माध्यम से साक्ष्य इकट्ठा करना चाहता है जिसका उसे कोई भी कानूनन अधिकार प्राप्त नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लिया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नं0 2214/1838 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। वादी की खातेदारी की आराजी के समीप प्रतिवादनी कम 1 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 461 रकबा 3.66 है0 व खसरा नं0 462 रकबा 0.13 है0 कुल दो किता की 3.79 है0 आराजी स्थित है। इस प्रकार प्रतिवादीनी क्रम 1 वादी की समीपस्थ खातेदार है। प्रतिवादी नं0 2 द्वारा वादी की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी में से करीब डेढ बीघा भूमि पर अवैध व अनाधिकृत रूप से कुछ समय पूर्व कब्जा करते हुये प्रतिवादी कम 1 की समीपस्थ उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में विधि विरूद्ध रूप से सम्मिलित कर लिया है। उक्त भूमि का तहसील कार्यालय द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया तथा उक्त सीमाज्ञान की रिपोर्ट अनुसार कुल रकबा 0.32 है0 भूमि में से 0.24 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण अतिकमी के रूप में काबिज है इस प्रकार वर्तमान में वादीगण के पास केवल मात्र 0.08 है0 भूमि शेष बची है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की बेदखली की डिकी सादर पारित फरमाई जावे कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की वाद विषयक आराजी खसरा नं0 2214/1838 रकबा 0.32 है0 भूमि में से करीब डेढ बीघा (0.24 है0) वाके ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा अथवा वाद जांच जितनी भूमि पर प्रतिवादीगण का अनाधिकृत कब्जा माना जावे, पाया जावे पर से प्रतिवादीगण को बदेखल करते हुये उक्त भूमि का कब्जा वादी को संभलाया जावे तथा साथ ही वादी की वाद विषयक भूमि पर पत्थर गढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह भी पारित फरमाई जावे।

प्रतिवादी के ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश कर यह निवेदन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद झूठे व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है क्योकि उक्त भूमि वादी की खरीदशुदा भूमि है जिस पर वादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में अंकन

उपखण्ड अधिकारी
को.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

रहा है और उक्त भूमि का मूल खातेदार के द्वारा विभिन्न टुकडो में विभिन्न व्यक्तियों को बैचान कर दिया और ठिक इसी प्रकार वादी को विक्रय किया गया किन्तु मौके पर अन्य सहखातेदारान के द्वारा अपनी अपनी भूमि कब्जे मे कर व्यवस्था कर ली और अन्त मे वादी की भूमि कम पडने पर वादी प्रतिवादी की भूमि मे अपनी भूमि होने का झूठा दावा कर रहा है तथा प्रतिवादी पर कुछ समय पूर्व कब्जा करने का झूठा आरोप लगाकर जबरदस्ती ताकत के बल पर प्रतिवादी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है जिसका वादी को कोई अधिकार नहीं है और यदि वादी की भूमि में कोई कमी रकबा है तो वादी मूल खसरा न0 की पैमाईश करवाकर ही प्राप्त कर सकता है। प्रतिवादीगण के द्वारा डीजीपीएस सर्वे मशीन के द्वारा खसरा नं0 460 की रकबा 3.66 है0, ख0नं0 462 की रकबा 0.13 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.79 है0 भूमि की पैमाईश करवायी गयी है जिसका वर्गमीटर में कुल पैमाईश 36491 वर्गमीटर रकबा स्थित है। जबकि उक्त भूमि का वर्गमीटर मे कुल पैमाईश 37346 वर्गमीटर के लगभग है। और हैक्टयर प्रणाली मे मूल रकबा 3.79 है0 मे से रकबा 0.1409 है0 लगभग कम है और उक्त कमी रकबे को प्रतिवादी पैमाईश करवाकर प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी की भूमि की पैमाईश करवाकर अतिक्रमीयों को बेदखल कर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की डिक्री सादर पारित फरमायी जावे।

बाद अवलोकन प्रथमदृष्टया प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य भूमि की सीमाओं का विवाद होना प्रतीत है। चुकि प्रतिवादी द्वारा भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने का निवेदन किया है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वाद पत्र एवं प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाता है एवं नायब तहसीलदार मण्डाना को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 06.03.2026 को उभयपक्षकारानों की उपस्थिति में विवादित आराजी खसरा नं0 2214/1838 एवं खसरा नं0 461 एवं 462 वाके ग्राम मण्डाना पटवार हल्का मण्डाना का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त निर्णय आज दिनाक: 24/2/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा